

वैश्विक प्लास्टिक संधि

प्रलिस के लिये:

[संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा](#), [यूरोपीय संघ](#), [वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व](#), [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन](#), [जीवाश्म ईंधन](#), [पॉलमिर](#), संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति

मेन्स के लिये:

प्लास्टिक प्रदूषण और अपशषिट प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि, अंतरराष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण कूटनीति, पर्यावरण नीति और शासन

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र (UN) अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की 5वीं बैठक में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमतितक पहुँचने में वफिल रही।

- वर्ष 2022 में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पारित इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्ष 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक नयिम स्थापित करना था, लेकिन ये देश किसी समझौते पर पहुँचने में वफिल रहे।
- प्रतनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कसंधिको अंतिम रूप देने के लिये वर्ष 2025 में एक और सत्र आयोजित किया जाएगा, जसि अस्थायी रूप से "INC-5.2" नाम दिया जाएगा।

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमतितक क्यों नहीं पहुँच सकी?

- प्लास्टिक उत्पादन पर सीमाएँ: विवाद का एक मुख्य मुद्दा यह था कि किये देशों को [वरजनि प्लास्टिक पॉलमिर](#) (पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल से बने) के उत्पादन को कम करने के लक्ष्य पर सहमत होना चाहिये या नहीं।
 - नॉर्वे और रवांडा के नेतृत्व में 66 देशों का एक समूह, [यूरोपीय संघ](#) के साथ मलिकर प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को नयितरति करने के लिये प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगाने का समर्थन कर रहा है।
 - सऊदी अरब और भारत जैसे देश, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिये [पेट्रोकेमिकल्स](#) और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, ने ऐसे किसी भी उपाय का वरिोध किया जो उत्पादन को सीमित करेगा।
- विकास संबंधी चिंताएँ: भारत ने तर्क दिया कि प्लास्टिक उत्पादन को वनियमित करने से उसके विकास के अधिकार का उल्लंघन होगा, वरिेष रूप से वैश्विक प्लास्टिक पॉलमिर बाजार में देश की भूमिका को देखते हुए।
 - भारत का रुख यह था कि [किसी भी संधि से राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिये।](#)
- असवीकार्य लक्ष्य: प्रारूप संधि में वर्ष 2040 तक [एकल-उपयोग प्लास्टिक को](#) चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और [डाई \(2-एथलिहेक्सलि\) फथलेट \(DEHP\)](#), [डबियूटाइल फथलेट \(DBP\)](#), [बेंज़लि ब्यूटाइल फथलेट \(BBP\)](#) और [डाई-आइसोब्यूटाइल फथलेट \(DIBP\)](#) जैसे खतरनाक रसायनों को प्रतबिंधित करने के लिये वर्ष-वार लक्ष्य प्रस्तावित किये गए हैं।
- यद्यपि इन उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था, लेकिन इनके नकारात्मक आर्थिक प्रभावों के कारण कुछ देशों ने इन्हें असवीकार कर दिया।
 - यद्यपि भारत ने प्लास्टिक अपशषिट को रोकने के लिये कई कदम उठाए हैं, जनिमें [अल्पकालिक प्लास्टिक पर प्रतबिंध लगाना](#) और [वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व \(EPR\)](#) व्यवस्था लागू करना शामिल है, फरि भी उसने प्रस्तावित लक्ष्यों का वरिोध किया है और कहा है कि ऐसे नयिम देश के विकास को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- संधिके दायरे पर असहमति: कई देश चाहते थे कि संधि प्लास्टिक के संपूरण जीवन चक्र (उत्पादन, खपत, अपशषिट प्रबंधन और इसके प्रभाव सहित) को संबोधित करे, वही कुछ प्रतनिधिमंडलों का मानना था कि ध्यान केवल प्लास्टिक अपशषिट पर ही होना चाहिये।
 - इससे व्यापक समाधान चाहने वालों और तत्काल अपशषिट प्रबंधन को प्राथमिकता देने वालों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया।
 - कुवैत ने प्लास्टिक प्रदूषण से परे अधदिश का वसितार करने की आलोचना की और दावा किया कि यह व्यापार प्रतबिंधों और आर्थिक एजेंडों का बहाना है।


- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:** कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, तथा दीर्घकालीन वार्ता के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि [महासागर और पारस्थितिकी तंत्र प्लास्टिक अपशिष्ट के संचय से पीड़ित हैं।](#)

संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद (UNEP):** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद (UNEP) एक प्रमुख निकाय है, जिसकी स्थापना **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA)** द्वारा समुद्री पर्यावरण पर इसके प्रभाव सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय साधन वकिसति करने हेतु की गई है।
 - संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधिकी दशा में कार्य करने के लिये वर्ष 2022 में प्रस्ताव 5/14 को अपनाएँगे।
- **INC सत्र:** वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक प्लास्टिक संधिकी अंतिम रूप देने के उद्देश्य से वार्ता प्रक्रिया में वैश्विक स्तर पर आयोजित सत्रों की एक शृंखला शामिल है, जो **उरुग्वे में INC-1** (नवंबर 2022) से आरंभ होकर, **फ्रांस में INC-2 (जून 2023)** और **केन्या में INC-3** (नवंबर 2023), **कनाडा में INC-4 (अप्रैल 2024)** और **दक्षिण कोरिया में INC-5** (दिसंबर 2024) तक जारी रहेगी।

वर्श्व को वैश्विक प्लास्टिक संधिकी आवश्यकता क्यों है?

- **तीव्र वृद्धि:** प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन (MT) से दोगुना होकर वर्ष 2019 में 460 मीटरिक टन हो गया है।
 - **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** के अनुसार, अनुमान है कि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन 700 मीटरिक टन तक पहुँच जाएगा।
 - **एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है**, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर हैं।



- **प्लास्टिक का प्रभाव:**
 - **पर्यावरण:** प्लास्टिक को वधितति होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का वशाल संचय हो जाता है।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के बावजूद, **2023** किये गए एक अध्ययन के अनुसार, **केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण** किये जाता है। यह अक्षमता प्रदूषण संकट को और बढ़ा देती है।
 - प्रतवर्ष करीब **8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है**, जिससे समुद्री जीवन और पारस्थितिकी तंत्र को नुकसान

पहुँचता है। अगर मौजूदा वृद्धि जारी रहे तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से भी ज्यादा हो जाएगी।

- **मानव स्वास्थ्य:** प्लास्टिक में मौजूद रसायन, जैसे कि **बिसफेनॉल A (BPA)**, अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है।
 - ये रसायन अंतिम उत्पाद में बने रहते हैं और बाहर निकलकर **कैंसर, मधुमेह, प्रजनन संबंधी समस्याएँ और तंत्रिका-विकास संबंधी विकलांगता** सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं।
- **वन्य जीवन:** प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री और स्थलीय प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जानवर प्लास्टिक अपशिष्ट को नगिल लेते हैं या उसमें फँस जाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** प्लास्टिक उत्पादन वैश्विक **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 3.6% का योगदान** देता है, जिसमें से 90% उत्सर्जन प्लास्टिक बनाने के लिये उपयोग किये जाने वाले **जीवाश्म ईंधन** से आता है।
 - यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 के स्तर से वर्ष 2050 तक 37% बढ़कर 3.35 गीगाटन **कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO2e)** हो सकता है।
- **वैश्विक प्लास्टिक संधि का महत्त्व:** उत्पादन से लेकर नपिटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र को वनियमिती करने के लिये एक वैश्विक संधि की आवश्यकता है।
 - प्लास्टिक प्रदूषण संकट से नपिटने के लिये, राष्ट्रों को कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के लिये प्रतबिद्ध होना चाहिये, जिससे **उत्पादन पर अंकुश लगे, पुनरचक्रण में सुधार हो, तथा प्लास्टिक अपशिष्ट** को पारस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके।

प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भन्न राष्ट्रीय हति:** विकसित राष्ट्र प्लास्टिक उत्पादन और खपत के प्रबंधन के लिये जीवनचक्र दृष्टिकोण पर जोर देते हैं।
 - विकसित और **पेट्रोकेमिकल-केंद्रित राष्ट्र** ऐसे उपायों को प्रतबिधात्मक और आर्थिक विकास के लिये हानिकारक मानते हैं।
- **व्यापारिक नहितार्थ:** प्लास्टिक एक विश्व स्तर पर व्यापार की जाने वाली वस्तु है, और किसी भी प्रतबिध कामहत्त्वपूर्ण व्यापारिक नहितार्थ हो सकता है, जिससे आम **सहमति बनाना मुश्किल** हो जाएगा।
- **वित्तपोषण एवं संसाधन:** नमिन एवं मध्यम आय वाले देशों में प्रायः व्यापक प्लास्टिक प्रदूषण उपायों को लागू करने के लिये संसाधनों का अभाव होता है, जिसके कारण वित्तीय सहायता एवं उत्तरदायित्व को लेकर असहमति होती है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व:** संकट की साझा समझ के बावजूद, **परिवर्तनकारी उपायों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव** था। दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तात्कालिक आर्थिक हितों को संतुलित करना नीति निर्माताओं के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

































प्लास्टिक क्या है?

- **परचिय:** प्लास्टिक ऐसी सामग्री है, चाहे वह **कृत्रमि हो या प्राकृतिक**, जिसे नरम होने पर आकार दिया जा सकता है और फरि उसका आकार बनाए रखने के लिये उसे कठोर किया जा सकता है।
 - **प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक** है जो मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे मोनोमर्स को रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर बनाया जाता है।
- **प्लास्टिक के प्रकार:**

THE 7 TYPES OF PLASTICS

THEIR TOXICITY AND WHAT THEY ARE MOST COMMONLY USED FOR

TOXICITY CODE:  LOW  HIGH

Polymer Name	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE	HIGH-DENSITY POLYETHYLENE	POLYVINYL CHLORIDE	LOW-DENSITY POLYETHYLENE	POLYPROPYLENE	POLYSTYRENE	All other plastics, including acrylic, fiberglass, nylon, polycarbonate, and polylactic acid (a bioplastic)
Resin Identification Code							
Abbreviation	PET or PETE	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS	OTHER
Recyclable?	Commonly Recycled	Commonly Recycled	Sometimes Recycled	Sometimes Recycled	Occasionally Recycled	Commonly Recycled (but difficult to do)	Difficult to Recycle
Percentage Recycled Annually			<1% recycled" data-bbox="328 258 378 293"/>				
How Long to Decompose Under Perfect Conditions	5-10 Years	100 Years	Never	500-1,000 Years	20-30 Years	50 Years	Majority of these plastics: never Polylactic acid: 6 months
Maximum Temperature	 70°C (158°F)	 120°C (248°F)	 70°C (158°F)	 80°C (176°F)	 135°C (275°F)	 90°C (194°F)	Polycarbonate: 135°C (275°F) Polylactic acid: 150°C (302°F)
Brittleness Temperature	 -40°C (-40°F)	 -100°C (-148°F)	 -30°C (-22°F)	 -100°C (-148°F)	 0°C (32°F)	 -20°C (-4°F)	Polycarbonate: -135°C (-211°F) Polylactic acid: 60°C (140°F)
Toxicity Level							
Most Commonly Leached Toxin(s)	Antimony Oxide, Bromine, Diazomethane, Lead Oxide, Nickel Ethylene Oxide, and Benzene	Chromium Oxide, Benzoyl Peroxide, Hexane, and Cyclohexane	Benzene, Carbon Tetrachloride, 1,2-Dichloroethane, Phthalates, Ethylene Oxide, Lead Chromate, Methyl Acrylate, Methanol, Phthalic Anhydride, Tetrahydrofuran, and Tribasic Lead Sulfate, Mercury, Cadmium, Bisphenol A (BPA)	Benzene, Chromium Oxide, Cumene Hydroperoxide, and Tert-butyl Hydroperoxide	Methanol, 2,6-di-tert-Butyl-4-Methyl Phenol, and Nickel Dibutyl Dithiocarbamate	Styrene, Ethylbenzene, Benzene, Ethylene, Carbon Tetrachloride, Polyvinyl Alcohol, Antimony Oxide, and Tert-butyl Hydroperoxide, Benzoquinone	BPA, BPS, as well as all other toxins mentioned

- **भारत और प्लास्टिक समस्या:** भारत वर्तमान में विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, और प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 20% है।
 - भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रमुख भाग (लगभग 3.5 मिलियन टन) खराब अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कारण पर्यावरण में शामिल होता है।
 - जैसे-जैसे भारत के शहरी क्षेत्रों का वसतिार हो रहा है, प्लास्टिक उत्पादों (विशेषकर पैकेजिंग) की मांग बढ़ने से प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि होने के साथ अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु भारत का बुनियादी ढाँचा अवकिसति है। यहाँ सैनिटरी लैंडफिल की तुलना में अनियंत्रित डंपिंग साइट अधिक है।
 - भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने से वातावरण में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इससे वायुप्रदूषण के साथ लोक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा मिलता है।
 - भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से अनुमानित 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होगी, जिसमें प्रमुख भागीदारी एकत्रित न किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की होगी।
 - भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के असंगत प्रवर्तन के कारण EPR प्रणाली में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - **ई-कॉमर्स** की संवृद्धि से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश का पुनर्चक्रण नहीं होने से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

प्लास्टिक पर अंकुश लगाने हेतु भारत की पहल:

- [प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन \(संशोधन\) नियम, 2022](#)
- [प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन \(संशोधन\) नियम, 2024](#)
- [इंडिया प्लास्टिक पैक्ट](#)
- [प्रोजेक्ट रपिलान](#)
- [अन-प्लास्टिक कलेक्टिव](#)
- [गोलटिर भागीदारी परियोजना](#)

आगे की राह

- **आम सहमत बिनाना:** मतभेदों को दूर करने के क्रम में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के आर्थिक लाभ सहित पारस्परिक लाभों पर बल देना चाहिये।
 - विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन मॉडल के रूप में **धारणीय पैकेजिंग** जैसे उपायों को महत्त्व देना चाहिये।
- **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता:** विकासशील देशों को धारणीय प्लास्टिक उत्पादन में सहायता देने हेतु रूपरेखा तैयार करनी चाहिये। इसका अनुपालन बढ़ाने हेतु वित्तपोषण तथा प्रौद्योगिकी-साझाकरण तंत्र का विस्तार करना चाहिये।
- **वृद्धशील लक्ष्यों के माध्यम से महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाना:** विकास के विभिन्न स्तरों पर देशों के लिये अनुकूलन के साथ चरणबद्ध प्रतबिद्धताओं को प्रस्तुत करना चाहिये। हानिकारक एकल-उपयोग प्लास्टिक एवं रसायनों पर वैश्विक प्रतिबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **सार्वजनिक और वैश्विक नेतृत्व का लाभ उठाना:** इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये अंतरराष्ट्रीय दबाव एवं जन जागरूकता अभियानों का उपयोग करना चाहिये। इसके परिणामों की निगरानी एवं आलोचना हेतु नागरिक समाज तथा पर्यावरण संगठनों को शामिल करना चाहिये।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□:

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक संधि वार्ता के नहितार्थों एवं पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करने संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

□□□□□□□□□□

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण वशिषता के रूप में 'वसितारति उत्पादक दायतित्व' आरंभ कयिा गया था? (2019)

- जैव चकितिसा अपशषिट (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 1998
- पुनरचकरति प्लास्टिक (वनिरिमाण और उपयोग) नयिम, 1999
- ई-वेस्ट (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 2011
- खादय सुरक्षा और मानक वनियिम, 2011

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. राष्ट्रिय हरति अधकिरण (NGT) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोरड (CPCB) से भनिन है? (2018)

- एनजीटी का गठन एक अधनियिम द्वारा कयिा गया है जबकिसीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से कयिा गया है।
- एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलबध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकिसीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहति करता है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

□□□□□□□:

प्रश्न: नरितर उत्पन्न कयि जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की वशिाल मात्राओं का के नसितारण करने में क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशषिटों को सुरक्षति रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

